IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अनुसूचित जातियाँ और शैक्षिक गतिशीलता: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद के थलीसैंण ब्लॉक के विशेष सन्दर्भ में)

चन्द्र प्रकाश
पीएच.डी. शोधार्थी समाजशास्त्र
इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला
वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)

डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव
शोध निर्देशक/ प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला
वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)

सारांश

प्रस्तुत शोध उत्तराखण्ड राज्य के भारत के एक हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड के पौड़ी जनपद में स्थित थलीसैंण विकासखण्ड के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए किया। इस जांच में पाया गया कि अनुसूचित जातियों में पहले की तुलना में वर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता आयी। अनुसूचित जातियों में लगभग प्रत्येक स्तर पर, सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक राजनीतिक व व्यावसायिक स्तर पर गतिशीलता आयी है। जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों ने अपनी सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति को ऊपर उठाया है, और भारत के सर्वांगीण विकास में सहभागिता दी है। प्राचीन समय में अनुसूचित जातियों की स्थिति से सभी अवगत हैं। वह स्थिति अत्यन्त कष्टदायी व दयनीय थी, फिर भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माण के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इन जातियां की सामाजिक–आर्थिक विकास व सुरक्षा के लिये विभिन्न प्रावधान किये गये, जिसके फलस्वरूप आज अनुसूचित जातियां विकास के शिखर की ओर निरन्तर अग्रसर हैं और समाज में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिये निरन्तर कार्यशील है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिये आवश्यक है कि उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार मिले तभी वह समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। प्रत्येक समाज अपने समय की उपज होता है, अर्थात् प्रत्येक समाज में समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं।

प्रस्तावना

मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं अर्जित करती है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता से और हस्तान्तरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गयी है। ज्ञान की यह परम्परात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिकए आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु.स्तर से ऊंचा उठाया है। और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। **चीनी सन्त कनफ्यूशस ने कहा था, ''अज्ञानता एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें न चांद हैं न तारे।''** शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानरूपी प्रकाश को प्राप्त कर अज्ञान रूपी अंधेरी रात्रि के अन्धकार को दूर करना है। शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का अभाव होगा। ज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत के हस्तान्तरण का कार्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अन्य शब्दों में ज्ञान एवं सामाजिक.सांस्कृतिक विरासत को हस्तान्तरित करने वाली संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं कहलाती हैं। **फिलिप्स कहते हैं, ''शिक्षा वह संस्था है जिसका केन्द्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है।''**[1]

अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में आजादी के बाद भारत में राज्यों द्वारा नियोजित नीति के द्वारा कुछ मात्रा तक सफलता प्राप्त की है। हालांकि, सार्वभौमिक और न्यायसंगत प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्या का फिर थी भ्रांतिपूर्ण रहना जारी है। यह अध्याय अनुसूचित जातियों के वर्तमान साक्षरता और शैक्षिक परिदृश्य को पेश करने का प्रयास करता है। आधुनिक समाजों में शैक्षिक गतिशीलता सामाजिक बदलाव का मुख्य निर्धारक बनती जा रही है। शिक्षा से ही व्यावसायिक उपलब्धियों में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा एक सामाजिक औजार है जो सामाजिक. सांस्कृतिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें सुयोग्य व्यक्ति, चाहे उसके संसाधन कुछ भी हो सामाजिक पदक्रम में एक जाति से दूसरी जाति एक वर्ग से दूसरे वर्ग और एक पद से दूसरे पद तक ऊपर उठ सकता है। आज जब दुनिया में सामाजिक–आर्थिक विकास ज्ञान पर और अधिक केन्द्रित होता जा रहा है, शिक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी है। शिक्षा सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है।[2]

आधुनिक समाज शिक्षा को एक अहम सामाजिक संसाधन और समता के लक्ष्य को पाने का साधन मानता है। शिक्षा को विभिन्न प्रकार से किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उपर उठाने का साधन माना जाता है। इसे उस ज्ञान, कौशल, जीवन मूल्यों और दृष्टिकोण को पाने का उपाय समझा जाता है, जो किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में उसके सचमुच मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में शिक्षा को एक वांछित कोटि के जीवन हेतु एक बुनियादी इंसानी जरूरत समझा जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुसार मनुष्य एक बेशकीमती संपदा है, अमूल्य संसाधन है। जरूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो और सावधानी से की जाए। शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही निम्न बातों को स्पष्ट किया गया है। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृ ष्टि को प्रखर करती हैए जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके के अमल की सभावना बढ़ती है और चिन्तन से स्वतंत्रता आती है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। कुल मिलाकर यह कहना होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है।[3]

मानवपूँजी के सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा उपभोग वस्तु नहीं प्रतिफल देने वाली निवेश है। किसी व्यवसाय या ऊँचे व्यवसाय में लगने का मतलब विभिन्न स्तरों वाली सामाजिक स्थिति पाना है। इस तरह शिक्षा सामाजिक गतिशीलता और उस हद तक समता की स्थापना का साधन बन जाती है। शैक्षिक अवसरों की समानता के सन्दर्भ में शिक्षा से समताकारी बनने की आशा की जाती है। शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब है कि व्यक्तियों को शिक्षा एक समान सुलभ है।[4]

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन हेतु उत्प्रेरक की तरह काम करती है इस तथ्य की पुष्टि भारत के विभिन्न राज्यों में विकास के अन्तर से होती है। उदाहरण के लिए केरल का ऐतिहासिक अनुभव सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा में प्रगति के द्विमुखी सम्बन्ध को सामने लाता है। शिक्षा में प्रसार ने परम्परागत जातिगत वर्गीय तथा लैंगिक असमानताओं को कम करने में मदद की है, तो वहीं दूसरी ओर इन असमानताओं के दूर होने से शिक्षा को बढ़ावा मिला है।

अनुसूचित जातियों का अर्थ–

सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की गयी है। साधारणतः अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुविधाएं दिलाने के लिए जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियां, दलित वर्ग, बाहरी जातियां और हरिजन, आदि नामों से भी पुकारा जाता है।[5] अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती हैं, किन्तु अस्पृश्यता के निर्धारण का यह आधार नहीं है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसी जातियां भी हैं जो घृणित व्यवसायों में लगी हुई नहीं हैं, परन्तु फिर भी उन्हें संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति माना जाता है। अस्पृश्यता का सम्बन्ध प्रमुखतः पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से है। हिन्दू समाज में कुछ व्यवसायों या कार्यों को पवित्र एवं कुछ को अपवित्र समझा जाता रहा है। यहां मनुष्य या पशु–पक्षी के शरीर से निकले हुए पदार्थों को अपवित्र माना गया है। ऐसी दशा में इन पदार्थों से सम्बन्धित व्यवसाय में लगी जातियों को अपवित्र समझा गया और उन्हें अस्पृश्य कहा गया। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिन्दुओं को स्पर्श नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का तात्पर्य है 'जो छूने योग्य नहीं है।' अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। सवर्ण हिन्दुओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य द्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गयी, उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गयीं और उनके सम्पर्क से बचने के कई उपाय किये गये। अस्पृश्यों के अन्तर्गत वे जातीय समूह आते हैं जिनके छूने से अन्य व्यक्ति अपवित्र हो जायें और जिन्हें पुनः पवित्र होने के लिए कुछ विशेष संस्कार करने पड़ें। इस सम्बन्ध में डॉ. **के. एन. शर्मा ने लिखा है,** "अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़ें।[6] **आर. एन. सक्सेना**

ने इस बारे में लिखा है कि यदि ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाय जिनके छूने से हिन्दुओं को शुद्धि करनी पड़े तो ऐसी स्थिति में **हट्टन** के एक उदाहरण के अनुसार ब्राह्मणों को भी अस्पृश्य मानना पड़ेगा क्योंकि दक्षिण भारत में होलिया जाति के लोग ब्राह्मण को अपने गांव के बीच से नहीं जाने देते हैं और यदि वह चला जाता है तो वे लोग गांव की शुद्धि करते हैं।[7] स्पष्ट है कि अस्पृश्यता के निर्धारण में छूने मात्र से अपवित्र होने की बात पर्याप्त नहीं है। इन ने उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी निर्योग्यताओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर अस्पृश्य जातियों के निर्धारण का प्रयत्न किया गया है। आपने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो (अ) उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हो, (ब) सवर्ण हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयों, कहारों तथा दर्जियों की सेवा पाने के अयोग्य हो, (ख) हिन्दू मन्दिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हो, (द) सार्वजनिक सुविधाओं (पाठशाला, सड़क तथा कुआं) को उपयोग में लाने के अयोग्य हो, और (य) पृणित पेशे से पृथक् होने के अयोग्य हो।'[8] सारे देश में अस्पृश्यों के प्रति एकसा व्यवहार नहीं पाया जाता और न ही देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यों के सामाजिक स्तर में समानता पायी जाती है। अतः हट्टन द्वारा दिये गये उपर्युक्त आधार भी अन्तिम नहीं हैं। **डॉ. डी. एन. मजूमदार के अनुसार,** "अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत–सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गयी हैं।'[9] 'स्पष्ट है कि अस्पृश्यता से सम्बन्धित कई निर्योग्यताएं या समस्याएं हैं जिनका आगे उल्लेख किया गया है। **भारत की 'मानव विकास रिपोर्ट–2011' के अनुसार** वर्ष 2007–08 में देश में अनुसूचित जाति 19.9 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 8.6 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42.3 प्रतिशत तथा अन्य जातियां 29.2 प्रतिशत थीं। पंजाब में 36.7 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 29.2 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 28.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 25. 8 प्रतिशत, हरियाणा में 25 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 20.7 प्रतिशत, बिहार में 20.2 प्रतिशत, राजस्थान में 19.2 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 17.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियां हैं।[10]

देश की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का लगभग 79 प्रतिशत केवल 10 राज्यों में निवास करता है: पंजाब (31.9 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (25.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (23.5 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (20.7 प्रतिशत), हरियाणा (20.29 प्रतिशत), तमिलनाडु (20.16 प्रतिशत), उत्तराखण्ड (18.8 प्रतिशत), राजस्थान (17.8 प्रतिशत), त्रिपुरा (17.8 प्रतिशत) तथा ओडिशा (17.1 प्रतिशत) हैं।[11]

अध्ययन क्षेत्रः– प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित थलीसैंण विकासखण्ड है। सामाजिक–आर्थिक व भौगोलिक दशाएं प्रस्तुत अध्ययन के लिये उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करती है।

शोध–पद्धतिः– प्रस्तुत शोध थलीसैंण विकासखण्ड के 306 व्यक्तियों पर किया गया, जिन्हें सउद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा चुना गया। प्रस्तुत शोध में वर्णानात्मक व अन्वेक्षणात्मक शोध अभिकल्प के प्रयोग से प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा गया। प्रस्तुत शोध में अवलोकन व साक्षात्कार पद्धति के आधार पर आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया।

अनुसूचित जातियों में शैक्षिक गतिशीलता–

अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में आजादी के बाद भारत में राज्यों द्वारा नियोजित नीतियों के अनेक साधनों के कुछ मात्रा तक सफलता प्राप्त की है, हालांकि सार्वभौमिक और न्याय संगत प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों का फिर भी भ्रांतिपूर्ण रहना जारी है। यह अध्याय सामाजिक, लिंग और अन्तर्राज्य असमानताओं के विशेष संदर्भ के साथ की गयी प्रगति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों में शैक्षणिक गतिशीलता का वर्तमान साक्षरता स्तर और शैक्षिक परिदृश्य का एक विवरण प्रस्तुत करता है।

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति–

सारणी संख्या 1

उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	पुरूष	महिला
प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किये हुये	20	15	05
माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किये हुये	160	100	60
उच्चतर शिक्षा ग्रहण किये हुये	100	60	40
तकनीकी/डिप्लोमा शिक्षा ग्रहण किये हुये	26	20	06
कुल संख्या	306	195	111

सारणी 1 के विश्लेषण के आधार पर स्पस्ट है कि थलीसैण विकासखण्ड में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किये हुये उत्तरदाताओं की संख्या कुल 20 है, जिसमें 05 महिलायें व 15 पुरूष उत्तरदाता हैं। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किये हुये उत्तरदाताओं की संख्या 160 है, जिसमें 60 महिलायें व 100 पुरूष उत्तरदाता सम्मिलित हैं, उच्चतर शिक्षा ग्रहण किये हुये उत्तरदाताओं की संख्या 100 है, जिसमें 40 महिलायें 60 पुरूष सम्मिलित हैं, और तकनीकी एवं डिप्लोमा शिक्षा ग्रहण किये हुये उत्तरदाताओं की संख्या 26 है, जिसमें 06 महिलायें व 20 पुरूष सम्मिलित हैं।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या आपको प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट मिली है? तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न प्रकार थे–

सारणी संख्या 2

क्या आपको प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट मिली है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	270	88.24
नहीं	36	11.76
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 88.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट मिली है, जबकि 11.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का नहीं में जवाब था।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या आपको प्रतिष्ठित परीक्षाओं में तैयारी के लिए सरकार द्वारा कोचिंग की सुविधा मिली है? तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न प्रकार थे–

सारणी संख्या 3

क्या आपको प्रतिष्ठित परीक्षाओं में तैयारी के लिए सरकार द्वारा कोचिंग की सुविधा मिली है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	150	49.03
सुविधा मिली लेकिन लाभ नहीं लिया	101	33.00
नहीं मिली	55	17.97
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 49.03 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको प्रतिष्ठित परीक्षाओं में तैयारी के लिए सरकार द्वारा कोचिंग की सुविधा मिली है, जबकि 33.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जवाब था कि उनको सुविधा मिली लेकिन लाभ नहीं लिया जबकि 17.97 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जवाब नहीं में था।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया जाता है आपको कॉलेज/विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधा मिली है? तो उत्तरदाताओं के जवाब प्रकार थे–

सारणी संख्या 4

क्या आपको कॉलेज/विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधा मिलती है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	176	57.52
नहीं	130	42.48
योग	306	100

उपरोक्त सारणी 4 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 57.52 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि उनको कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में आवासीय सुविधा मिलती है। जबकि 42.48 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं उनको आवासीय सुविधा का प्रबन्ध नहीं है।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि आपको लगता है कि सरकार द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं से छात्रों के नामांकनों में तेजी आयी है? तो उनके जवाब निम्न प्रकार थे–

सारणी संख्या 5

क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं से छात्रों के नामांकन में तेजी आयी है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	299	97.71
नहीं	07	2.29
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 5 के विश्लेषण से ज्ञात होता है सर्वाधिक 97.71 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकार द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं से छात्रों के नामांकन में तेजी आयी है जबकि 2.29 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं में जवाब देते हैं।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं? तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न प्रकार थे–

सारणी संख्या 6

आप अपने बच्चे को किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
सरकारी स्कूलों में	170	55.55
निजी स्कूलों में	136	45.45
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 55.55 प्रतिशत उत्तरदाता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, जबकि 45.45 प्रतिशत उत्तरदाता निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि क्या आपको शिक्षा ग्रहण करते समय जातिगत भेदभाव या प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है? तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न प्रकार थे–

सारणी संख्या 7

क्या आपको शिक्षा ग्रहण करते समय जातिगत भेदभाव या प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	246	80.40
नहीं	60	19.60
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 7 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 80.40 प्रतिशत उत्तरदाताओ का मानना है कि शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें जातिगत भेदभाव या प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, जबकि 19.60 प्रतिशत उत्तरदाताओ का नहीं में जवाब है।

सारणी संख्या 8

क्या अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त उच्च जाति के लोगों के साथ आपके संबंधों में परिवर्तन आया है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	286	93.46
नहीं	20	6.54
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 8 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 93.46 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त उच्च जाति के लोगों के संबंधों में परिवर्तन आया है, जबकि 6.54 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं में जवाब देते हैं।

प्रत्येक समाज में महिलायें अपना एक अहम किरदार निभाती हैं, इसलिए समाज में महिलाओं को भी सभी अधिकारों को प्राप्त करने का हक है। **जब उत्तरदाओं से महिलाओं की शिक्षा से संबंधित प्रश्न किये गये तो उनके जवाब निम्न थे–**

सारणी संख्या 9

आपकी दृष्टि में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिये?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	306	100
नहीं	00	00
योग	306	100

सारणी संख्या 9 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त उत्तरदाता महिलाओं को शैक्षिक अधिकार प्राप्ति हेतु सहमत है।

सारणी संख्या 10

क्या आप अपने परिवार की महिलाओं की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	306	100
नहीं	00	00
योग	306	100

सारणी संख्या 10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समस्त उत्तरदाता अपने परिवार की महिलाओं की शिक्षा के प्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया जाता है आपको जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसकी गुणवत्ता कैसी है तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न थे–

सारणी संख्या 11

आपको जो शिक्षा दी जाती है उसकी गुणवत्ता कैसी है?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य	220	71.90
बहुत अच्छी	46	15.03
अच्छी नहीं है।	40	13.07
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 11 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 71.90 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सामान्य है, और 15.03 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत अच्छा मानते हैं जबकि 13. 07 प्रतिशत उत्तरदाता अच्छी नहीं है में जवाब देते हैं।

जब उत्तरदाताओं से सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक योजनाओं व उसके अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित प्रश्न किये गये तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न थे–

सारणी संख्या 12

क्या आप सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक सुविधायें से अवगत हैं? और क्या उनका लाभ उठाते हैं?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	298	97.38
नहीं	08	2.62
योग	306	100

सारणी 12 के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि थलीसैंण विकासखण्ड में 97.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि वैसे सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक सुविधाओं से अवगत हैं तथा उनका उचित लाभ उठा रहे हैं, जबकि 2.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि वे इससे अवगत नहीं हैं या किसी कारणवश वे इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

जब उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाय हो सकते हैं? तो उत्तरदाताओं के जवाब निम्न प्रकार थे–

सारणी संख्या 13

अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष उपाय हो सकते हैं?		
विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना	98	32.03
छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन	102	33.33
संचारतंत्र के उपयोग से शिक्षा तक पहुंचना	106	34.64
योग	306	100

उपरोक्त सारणी संख्या 13 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 34.64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि संचारतंत्र के उपयोग से शिक्षा तक पहुंचना अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष उपाय हो सकता है, जबकि 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन एक विशेष उपाय हो सकता है, तथा 32.03 प्रतिशत उत्तरदाता समान शैक्षणिक अवसर को अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष उपाय मानते हैं।

निष्कर्षः

प्रस्तुत शोध अनुसूचित जाति 'एवं शैक्षणिक गतिशीलता', उत्तराखण्ड राज्य में स्थित पौड़ी गढ़वाल जनपद के एक विकासखण्ड 'थलीसैंण' में किया गया। शोध हेतु सउद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा 306 उत्तरदाताओं को शोधकार्य हेतु चुना गया, जिसमें 195 पुरूष तथा 111 महिला उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया, तत्पश्चात् उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। सारणी संख्या 4.1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल 306 उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 160 उत्तरदाता जिसमें 100 पुरूष व 60 महिलायें सम्मिलित हैं, माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किये हुए हैं, जबकि 100 उत्तरदाता जिसमें 60 पुरूष व 40 महिलायें सम्मिलित हैं, उच्चतर शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। तकनीकी/डिप्लोमा शिक्षा ग्रहण किए हुए उत्तरदाताओं की संख्या 26 है, जिसमें 20 पुरूष तथा 06 महिलायें हैं, एवं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किये हुए कुल 20 उत्तरदाताओं में से 15 पुरूष व 05 महिलायें थीं। अतः स्पष्ट है कि थलीसैंण विकासखण्ड में अनुसूचित जातियों ने शैक्षिक गतिशीलता के नवीन प्रतिमान स्थापित किये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा डी.डी. (2018): समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा.
2. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा डी.डी. (2018): समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), भारत.
4. माइकल, एस.एम. (2015): आधुनिक भारत में दलित SAGE पब्लिकेशन नई दिल्ली.
5. सिंह, हीरा (2019): जाति व्यवस्था की नई समीक्षा, SAGE पब्लिकेशन नई दिल्ली.
6. शर्मा, के.एल. (1999): 'सोशल स्ट्रेटिफीक्शन ऐण्ड मोबिलिटी', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर.
7. शर्मा, सुमित्रा (2021): वैश्विकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं अनुसूचित जाति, रावत पब्लिकेशन जयपुर.
8. कश्यम, सुभाष (1995): हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत.
9. शर्मा, सुमित्रा (2021): वैश्विकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं अनुसूचित जाति, रावत पब्लिकेशन जयपुर.
10. भारत की 'मानव विकास रिपोर्ट–2011.
11. थोरात, सुखदेव (2017): भारत में दलित, SAGE पब्लिकेशन नई दिल्ली.
12. थोरात, सुखदेव एवं सबरवाल, निधि सदाना (2019): दलित सशक्तिकरण, SAGE पब्लिकेशन नई दिल्ली.
13. घुर्ये, जी.एस. (2018): भारत में जाति एवं प्रजाति SAGE पब्लिकेशन नई दिल्ली.
14. भारत की जनगणना 2011.